राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड
88–ए इन्दिरा गांधी नहर मण्डल भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर – 302005
ई–मेल आई.डी.– rrvkboard@rajasthan.gov.in

क्रमांक :एफ 1 ( ) बैठक/वि.क.बो./सान्याअवि/22/2351 दिनांक : 20-5-2022

बैठक कार्यवाही विवरण

विप्र समाज के कल्याण हेतु उत्थान एवं कल्याण हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7011 दिनांक 10.02.2022 द्वारा गठित राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक श्री महेश शर्मा, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 18.05.2022 को समिति कक्ष –1, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आहुत की गई है।

बोर्ड की प्रथम बैठक में बोर्ड के निम्न सदस्यगण एवं प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे–

1 श्रीमती मंजू शर्मा, माननीया उपाध्यक्ष
2 श्री राजकुमार किराडू, माननीय सदस्य
3 श्री सीताराम शर्मा "नेहरू", माननीय सदस्य
4 श्री राजेश रामदेव, माननीय सदस्य
5 श्री पवन शर्मा, माननीय सदस्य
6 पं. श्री सुरेश चन्द शर्मा "पूंछरी", माननीय सदस्य
7 श्री मोहम्मद सलीम खान, उप सचिव, प्रतिनिधि शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक /माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा
8 श्री के.एम. डोरिया, अतिरिक्त आयुक्त EGS (RD) प्रतिनिधि शासन सचिव, ग्रामीणविकास विभाग एवं पंचायत राज विभाग
9 श्री पी.एन.शर्मा, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि आयुक्त, उद्योग विभाग
10 श्री आकाश रंजन शर्मा, सहायक आयुक्त प्रतिनिधि आयुक्त/ निदेशक देवस्थान विभाग
11 श्री पंतनजली भू., अति. श्रम आयुक्त प्रतिनिधि आयुक्त/निदेशक श्रम विभाग
12 श्री सोहन लाल घानका, महाप्रबन्धक, प्रतिनिधि प्रबन्धक निदेशक, राज अनु.जाति/जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.
13 श्री अश्विनी शर्मा, सचिव, राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड

सर्वप्रथम बोर्ड के सचिव ने सभी माननीय उपाध्यक्ष/सदस्यगणों एवं अधिकारीगणों का स्वागत किया तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रस्ताव पर राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के गठन करने के लिए राज्य सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वसम्मति से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोर्ड की बैठक का बिन्दुवार एजेडा प्रस्तुत किया एवं बैठक में निम्नानुसार प्रस्तावों पर निर्णय लिये गये–

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	एजेण्डा बिन्दु	बैठक में लिया गया निर्णय/प्रस्ताव
1	1	**विप्र समाज के उत्थान के लिये विप्र कल्याण कोष की स्थापना** – राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में विप्र समाज के उत्थान एवं कल्याण के लिये विशेष पहल करते हुये **"राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड"** का गठन किया गया है। बोर्ड के गठन का उद्देश्य विप्र समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने तथा उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिये कार्य करना है। विप्र समाज के लिये विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन तथा बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन के लिये राज्य स्तर पर **"विप्र कल्याण कोष"** की स्थापना किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में राज्य में विप्र कल्याण कोष की स्थापना एवं इसके परिसंचालन के लिये वार्षिक स्तर पर निधि के आवंटन के लिये राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है।	**अनुमोदित।**
2	2	**विप्र कल्याण बोर्ड के कार्यालय हेतु विप्र भवन निर्माण के लिये भूमि आवंटन एवं निर्माण** – राज्य सरकार द्वारा गठित राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड द्वारा बोर्ड के माननीय अध्यक्ष एवं उनके निजी स्टाफ के लिये अस्थाई रूप से इन्दिरा गांधी नहर मण्डल के भवन परिसर के 02 कक्षों को आवंटित किया गया	**अनुमोदित।**

		है। बोर्ड के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु अत्यंत आवश्यक है कि बोर्ड के लिये सुसंसाधन युक्त कार्यालय उपलब्ध हो। **चूंकि बोर्ड स्थाई प्रकृति के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है,** ऐसे में राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के लिये स्थाई रूप से जयपुर में भवन आवंटन एवं भवन निर्माण के लिये बजट प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है।	
3	3	**विप्र समाज की समस्याओं एवं इनके उत्थान के लिये अध्ययन एवं सुझाव आमंत्रण** -- बोर्ड के निर्धारित कार्यों में एक प्रमुख कार्य विप्र समाज की सामाजिक सुधार/उत्थान के उपाय सुझाना, कुरीतियों की पहचान करना, विप्र कल्याण बोर्ड का मुख्यतः धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुये व्यक्तियों/परिवारों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये राज्य सरकार को अनुशंषायें एवं नवीन योजनायें/कार्यक्रम प्रस्तावित करना है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा विभिन्न माध्यमों यथा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन, जिलों में विप्र समाज के व्यक्तियों के साथ संगोष्ठीयों का आयोजन तथा बोर्ड के पदाधिकारियों द्वारा जिलों का भ्रमण कर आगामी 02 माह में अध्ययन करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है।	अनुमोदित।
4	4	**विप्र शोध एवं अध्ययन के लिये "परशुराम पीठ" की स्थापना** – विप्र समाज के मूल कार्यों मुख्यतः धार्मिक एवं सांस्कृतिक कला एवं सामाजिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक है कि इस क्षेत्र में रूचि रखने वाले व्यक्तियों एवं विधार्थियों के लिये आध्यात्मिक चिंतन, वेद विज्ञान, वास्तु एवं कर्मकाण्ड के विषय पर अध्ययन, अनुसंधान, शैक्षणिक कार्यक्रम (सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा/डिग्री) प्रारंभ किये जाये। इस संबधं में राज्य स्तर पर **"परशुराम पीठ"** की स्थापना किये जाने पर विचार किया जा सकता है, जिसे राज्य में संचालित विभिन्न विश्वविद्यालयों मुख्यतः जगदगुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत शिक्षा विश्वद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध किया जा सकता है। इस पीठ के माध्यम से विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ–साथ समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखा जाये। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है।	अनुमोदित। बोर्ड स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वास्तु, ज्योतिष, कर्मकांड, पौरोहित्य जैसे विषयों पर शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया।
5	5	**विप्र समाज के उत्थान के लिये विभिन्न नवीन योजनाओं का निर्माण** –राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों में विप्र समाज के विभिन्न वर्गों के लिये नवीन योजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन के लिये राज्य सरकार को अनुशंषायें एवं ऐसे योजनाओं/ कार्यक्रमों के लिये प्रारूप साझा करना भी सम्मिलित है। प्रारंभिक तौर पर निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन अथवा राज्य सरकार को अनुशंषायें प्रेषित करने पर विचार किया जा सकता है– 1. विप्र समाज के बालक–बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिये जिलों में छात्रावास की स्थापना/संचालन। 2. विप्र समाज के बालक–बालिकाओं को प्रारंभिक अवस्था से वेद विद्या प्रदान करने के लिये वेद	अनुमोदित। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी जन्म पत्रिका योजना चालू की थी जो वर्तमान में बन्द है जिसे पुनः चालू कराये जाने के संबंध में राज्य सरकार को अनुशंषा भेजे जाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत विप्र. समाज के बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाकर डिजीटल कम्प्यूटर कोर्स के माध्यम से भी बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार को अनुशंषा भेजे जाने का निर्णय लिया गया। उद्योग विभाग द्वारा 09 प्रतिशत की दर पर

		विद्यालयों का संचालन। 3. विप्र समाज में कला एवं रचनात्मक गतिविधियों के प्रोत्साहन (अवॉर्ड/सम्मेलन इत्यादि) के लिये कार्य–योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन। 4. बोर्ड एवं विप्र समाज से जुड़ी योजनाओं के बारे में जन– जागरूकता हेतु आई.ई.सी. सामग्री का निर्माण। 5. कौशल विकास विभाग के सहयोग से विप्र समुदाय के लिये विशिष्ट कोर्स का निर्माण एवं उनका संचालन। 6. धार्मिक प्रतिष्ठानों में विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हुये विप्र समाज के पुजारियों/व्यक्तियों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिये योजना का निर्माण इत्यादि।	ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें 08 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाता है। अर्थात 1 प्रतिशत पर विभाग द्वारा ऋण की सुविधा उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में पण्डितों, ज्योतिशार्चार्यों, वास्तुविदों, एवं इस क्षेत्र में कार्यरत विप्र समाज के लोगों के लिए कार्यालय, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अनुशंषा भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। पुजारियों को उचित मूल्य की राशन की दुकान, डेयरी बूथ संचालन व पुजारियों को लोन के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार को अनुशंषा भेजे जाने का भी निर्णय लिया गया।
6	6	**विप्र समाज के संगठनों एवं पुजारियों के पंजीकरण** – बोर्ड द्वारा विप्र समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिये आवश्यक है कि विप्र समाज के उत्थान हेतु कार्यरत विभिन्न गैर राजकीय धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों तथा मंदिर एवं अन्य धार्मिक प्रतिष्ठनों/संगठनो के पंजीकरण एवं राजकीय सहायता/अनुदान प्राप्त करने हेतु बोर्ड की अनुशंषा प्राप्त किया जाना आवश्यक किया जाने हेतु विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हुये विप्र समाज के पुजारियों/व्यक्तियों का एकीकृत डेटा–बैंक तैयार करना आवश्यक है। एकीकृत डेटा–बैंक का निर्माण ऐसे संगठनों/व्यक्तियों के पंजीकरण के माध्यम से किया जायेगा। बोर्ड द्वारा पंजीकृत संगठनों/व्यक्तियों के लिये विशेष प्रकार के प्रावधान/सहायता उपलब्ध कराये जाने का निर्धारण किया जा सकेगा। इस संबंध में बोर्ड द्वारा विस्तृत नियम तैयार करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है।	अनुमोदित।
7	7	**अन्य राज्यों में स्थापित विप्र कल्याण बोर्ड के कार्यों का अवलोकन** – तेलंगाना, आन्धप्रदेश, कर्नाटक एवं पंजाब राज्य में पूर्व से विप्र कल्याण बोर्ड कार्यरत है, ऐसे में इन बोर्ड के कार्यों के अवलोकन से राज्य बोर्ड के संचालन हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में इन राज्यों के बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्यो के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा यथासमय इन राज्यों में विजिट कर बोर्ड के कार्यो का अवलोकन किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	अनुमोदित।
8	8	**विप्र कल्याण बोर्ड की वेबसाईट का निर्माण** नव गठित राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने व विप्र समाज की बोर्ड में सम्पूर्ण जानकारी एकीकृत करने व जन समुदाय के विप्र बोर्ड से जुड़ने के लिये बोर्ड की वेबसाईट का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से सम्पर्क कर बोर्ड की नवीन वेबसाईट का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा	अनुमोदित।

		निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	
9	9	**विप्र कल्याण बोर्ड के लोगो का निर्माण** – राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड की विशिष्ट पहचान हेतु बोर्ड के लोगो का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	**अनुमोदित।** **सार्वजनिक रूप से सूचना प्रकाशित करवाकर आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं और उनके उत्साहवर्द्धन हेतु राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड द्वारा प्रथम, द्वितिय, तृतीय स्तर से पुरकार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।**
10	10	**विप्र कल्याण बोर्ड के सहयोग हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन–** राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड को उसके उद्देश्यों एवं कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिये बोर्ड को आवश्यक परामर्श एवं सहयोग प्रदान करने के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	अनुमोदित।
11	11	**अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा बिन्दु–** **आर्थिक पिछडा वर्ग (EWS) के प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिला के पिता/पति दोनो की आय जोडने के सम्बन्ध में संशोधन हेतु माननीय सदस्य राजकुमार किराडु द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव रखा गया–** आर्थिक पिछडा वर्ग (EWS) के प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिलाओं से विभिन्न शैक्षणिक एवं रोजगार संबंधी प्रयोजन हेतु उसके पति के साथ–साथ उसके पिता की भी आय जोडी जाती है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को आर्थिक पिछडा वर्ग (EWS) के प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिला के पिता के स्थान पर केवल मात्र उसके पति की ही आय जोडने के सम्बन्ध में राज्य सरकार स्तर पर संशोधन करवाने का प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	अनुमोदित।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अश्विनी शर्मा)
सचिव

(महेश शर्मा)
अध्यक्ष

क्रमांक :एफ 1 ( ) बैठक/वि.क.बो./सान्याअवि/22/2352-2401 दिनांक : 20-5-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड, जयपुर।
2. श्रीमती मंजू शर्मा, माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड, जयपुर।
3. श्री राजकुमार किराडू, माननीय सदस्य, राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड, जयपुर।
4. श्री सीताराम शर्मा नेहरू, माननीय सदस्य, राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड, जयपुर।
5. श्री राजेश रामदेव, माननीय सदस्य, राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड, जयपुर।
6. श्री पवन शर्मा, माननीय सदस्य, राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड, जयपुर।
7. श्री सुरेश चन्द शर्मा "पूंछरी", माननीय सदस्य, राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायत राज. विभाग राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग (प्रार./माध्य.), एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राज.,जयपुर।
13. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
14. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, अनु.जा/जन जातिवित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड राज., जयपुर।
17. सचिव, राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड जयपुर।
18. रक्षित पत्रावली।

सचिव